



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219966
CG-DL-E-17062020-219966

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1691]
No. 1691]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1907(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में NH-354 के कि.मी. 140 से कि.मी.187.492 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप संभागीय मजिस्ट्रेट गुरदासपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में NH-354 के कि.मी. 140 से कि.मी.187.492 (तहसील ऑफिस गुरदासपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: गुरदासपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गुरदासपुर					
गांव का नाम: अलीशेर					
1	20 // 16 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
2	20 // 17 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1113000(हेक्टेयर)	0.1113000
3	20 // 18 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
4	20 // 23 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
5	20 // 23 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000
6	20 // 24 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
7	20 // 24 / 2 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784000(हेक्टेयर)	0.0784000
8	20 // 25	निजी	एग्रीकल्चर	0.0733000(हेक्टेयर)	0.0733000
9	21 // 18 / 2 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
10	21 // 19 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
11	21 // 21 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
12	24 // 3 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
गांव का नाम: पखारीवाल					
1	15 // 21 / 1 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000
2	15 // 21 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
3	15 // 22 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784000(हेक्टेयर)	0.0784000

4	15 // 22 / 2 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0556000(हेक्टेयर)	0.0556000
5	15 // 23 / 1 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405000(हेक्टेयर)	0.0405000
6	15 // 23 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0658000(हेक्टेयर)	0.0658000
7	173	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
8	174	निजी	एग्रीकल्चर	0.0733000(हेक्टेयर)	0.0733000
9	25 // 5 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
10	26 // 1 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1290000(हेक्टेयर)	0.1290000
11	26 // 2 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0708000(हेक्टेयर)	0.0708000
12	26 // 2 / 3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
13	26 // 3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405000(हेक्टेयर)	0.0405000
कुल				1.2163	1.2163

[फा. सं. PD/PIU-JAL/Bharat Mala/234/2017/3A3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O.1907(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways no 354 in the stretch of land from Km 140 to Km187.492 in the district of GURDASPUR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM Gurdaspur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Newly Proposed in the stretch of land from Km. 140 to Km. 187.492 in the district of GURDASPUR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: GURDASPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gurdaspur					

Village: Alisher					
1	20 // 16 / 2	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
2	20 // 17 / 2	Private	Agriculture	0.1113000(Hectare)	0.1113000
3	20 // 18 / 2	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
4	20 // 23 / 1	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
5	20 // 23 / 2	Private	Agriculture	0.0683000(Hectare)	0.0683000
6	20 // 24 / 1	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
7	20 // 24 / 2 / 1	Private	Agriculture	0.0784000(Hectare)	0.0784000
8	20 // 25	Private	Agriculture	0.0733000(Hectare)	0.0733000
9	21 // 18 / 2 / 2	Private	Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
10	21 // 19 / 2	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
11	21 // 21 / 1	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
12	24 // 3 / 1	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
Village: Pakhariwal					
1	15 // 21 / 1 / 2	Private	Agriculture	0.0076000(Hectare)	0.0076000
2	15 // 21 / 2	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
3	15 // 22 / 1	Private	Agriculture	0.0784000(Hectare)	0.0784000
4	15 // 22 / 2 / 2	Private	Agriculture	0.0556000(Hectare)	0.0556000
5	15 // 23 / 1 / 2	Private	Agriculture	0.0405000(Hectare)	0.0405000
6	15 // 23 / 2	Private	Agriculture	0.0658000(Hectare)	0.0658000
7	173	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
8	174	Private	Agriculture	0.0733000(Hectare)	0.0733000
9	25 // 5 / 1	Private	Agriculture	0.1012000(Hectare)	0.1012000
10	26 // 1 / 1	Private	Agriculture	0.1290000(Hectare)	0.1290000
11	26 // 2 / 1	Private	Agriculture	0.0708000(Hectare)	0.0708000
12	26 // 2 / 3	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
13	26 // 3	Private	Agriculture	0.0405000(Hectare)	0.0405000
Total				1.2163	1.2163

[F. No. PD/PIU-JAL/Bharat Mala/234/2017/3A3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.